GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

Office Order No. 37 of 2015

Sub: Channel of Submission of cases in the case of PR Directorate

It has been decided that all files from DIP shall henceforth be submitted to CRB through Secretary/Railway Board. All day-to-day administrative matters such as application for/sanction of leave etc. shall also be dealt with by Secretary/Railway Board. However, matters having urgency/importance like PR/publicity and news in the traditional and online media etc. shall be brought to the notice of CRB by DIP directly.

2. The above issues with the approval of the competent authority.

No. 2015/O&M/7/4
Dated: 27.04.2015

(K. Krishnan)
Joint Secretary,
Railway Board

All Officers and Branches in Board's office and in Metro Bhawan, Pragati Maidan.

भारत सरकार

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

2015 का कार्यालय आदेश सं. 37

विषय:जनसंपर्क निदेशालय से संबंधित मामलों को प्रस्तुत करने का चैनल।

यह विनिश्चय किया गया है कि निदेशक, सूचना एवं प्रचार द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली फाइलें अब से सचिव/रेलवे बोर्ड के माध्यम से अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड को प्रस्तुत की जाएंगी। सभी दैनिक प्रशासनिक मामलों, जैसे अवकाश की स्वीकृति से संबंधित आवेदन-पत्रों आदि पर भी सचिव/ रेलवे बोर्ड द्वारा कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल, तात्कालिक/महत्वपूर्ण प्रकृति के मामलों, जैसे परम्परागत तथा ऑनलाइन मीडिया आदि में जनसंपर्क/प्रचार और समाचारों के संबंध में निदेशक, सूचना एवं प्रचार द्वारा सीधे ही अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड को अवगत कराया जाएगा।

2. इसे सक्षम प्राधिकारी के सहमति से जारी किया जाता है।

सं. 2015/ओएंडएम/7/4
दिनांक:२७.04.2015

(के. कृष्णन)
संयुक्त सचिव,
रेलवे बोर्ड

मैट्रो भवन, प्रगति मैदान तथा रेल भवन में कार्यरत बोर्ड कार्यालय के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी।

SUBMISSION OF CASES